न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम बनेडा तहसील बनेड़ा
: : मूल वाद मे संशोधित अन्तिम डिक्री : :
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

प्रकरण संख्या 47/2017

अनवान

1 श्री जाकिर खां पिता कंवर अली खां कायमखानी निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

.... वादी

बनाम

1 अलानूर खां पिता कवंर अली खां कायमखानी निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

2 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री जाकिर खां पिता कंवर अली खां ....वादी
श्री अलानूर खां पिता कवंर अली खां ....प्रतिवादी
पैरोकार सरकार

दिनांक– 14.07.2017

वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क), राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत आपसी राजीनामें से मंजूर किया जा चुका है भूलवश हुई टंकण भूल को दुरूस्त करने बाबत वादी द्वारा दिनांक 14.07.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 47 नियम 01, 02 बाबत डिक्री पूर्वविलोकन स्वीकार कर पारित डिक्री दिनांक 14.07.2017 में दुरूस्तीकरण कर पुनः संशोधित डिक्री इस प्रकार दी जाती है कि–

वादपत्र में पारित अन्तिम डिक्री दिनांक 14.07.2017 की पंक्ति क्रम संख्या 05 में आ रही खतौनी संख्या 180 आराजी संख्या 222 कुल किता 01 कुल रकबा 00–06 बीघा, खतौनी संख्या 181 आराजी संख्या 250, 256, 506 कुल किता 03 कुल रकबा 01–00 बीघा को ग्राम निम्बाहेडाखुर्द पटवार हल्का क्षैत्र निम्बाहेडाकंला की वादग्रस्त आराजीयात समझा/पढा जावें। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आज दिनांक 14.07.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बनेडा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकार
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को प्रेषित हो।

उपखण्ड अधिकार
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा